जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसका संतुलित विकास हो सके।

गिरि जी ने कुछ प्रोजैक्ट के बारे में बताया। किसी पर्टिकूलर प्रोजैक्ट के बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो वह मैं आपको दिलवा दूंगा। लेकिन वैस्ट बंगाल में मिसाल के तौर पर कोलाघाट परियोजना को ही ले लीजिए, जिसमें 210 मैगावाट की तीन यूनिट्स लगनी हैं। इस परियोजना की स्वीकृति 1973 में दी गई और उस समय इसकी कमीशन की डेट 1978-79 रखी गई थी। लेकिन अभी तक वह कमीशन नहीं हो सकी है। ऐसा लगता है शायद 1985-86 तक कमीशन हो पाये। एक दूसरी परियोजना सांतालदीह है जो 120 मैगावाट की है। उसकी सेंक्शन 1968 में दी गई, कमीशन होनी थी 1975-76 में, लेकिन कमीशन हुई 1980-81 में। इसलिए जो पहले से स्वीकृत परियोजनायें हैं, उनको ओरिजिनल डेट्स पर कमीशन करवाने के लिए आप अपनी सरकार को क्यों नहीं कहते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्हें वहां इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि वैस्ट बंगाल सरकार उन परियोजनाओं पर ध्यान दे। वहां तो कई साल से आपकी सरकार है और इस बीच में तो सारी परियोजनाओं को उसे पूरा कर लेना चाहिए था। जहां तक दूसरी परियोजनाओं का आपका प्रस्ताव है, हम उनको भी जल्दी-से-जल्दी स्वीकृति देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोल लिंकिंग वगैरह की व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं को तो आप पूरा करवाइये।

आपने 5 करोड़ की सीमा के बारे में भी कहा। उसके सम्बन्ध में इस सदन से और दूसरे सदन राज्य सभा से पहले ही स्वीकृति ले ली गई है और बहुत जल्द ही वह कानून बन जाएगा। पावर फाईनैंस कार्पोरेशन के बारे में भी हम कह चुके हैं कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

18.51 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications under Central Excise Rules 1944 and Customs Act, 1962

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S. M. KRISHNA): I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of Notification Nos. 165/84-CE to 190/84-CE (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st August, 1984 together with an explanatory Memorandum notifying effective rates of duty for Copper, Zinc, Aluminium and lead and their products falling under the revised Item Nos. 26A, 26B 27 and 27A of the Central Excise Tariff, issued under the Central Excise Rules, 1944.

[*Placed in Library. See No. LT-8511/84.*]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(i) Notification No. 209/84-Customs published in Gazette of India dated the 1st August, 1984, together with an explanatory memorandum prescribing effective rates of additional duty of customs on aluminium and products thereof.

(ii) Notification Nos. 210/84-Customs published in Gazette of India dated the 1st August, 1984 together with an explanatory memorandum exempting components of fuel efficient two-wheeled motor vehicles in excess of the basic customs

duty of 25 per cent *ad valorem* and from the whole of the additional duty (countervailing duty) and auxiliary duty of customs in excess of 15 per cent *ad valorem* leviable thereon when imported by a manufacturer of such vehicles for the purpose of providing warranty coverage or after sale service to their customers.

(iii) Notification No. 212/84-Customs published in Gazette of India dated the 1st August, 1984 together with an explanatory memorandum making certain amendment to Notification No. 6/84-Customs dated the 10th January, 1984 so as to allow the exemptions contained therein upto 31st March, 1989.

[*Placed in Library. See No. LT-8511/84*]

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 O'clock tomorrow.

18.52 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleventh of the Clock on Thursday, August 2, 1984/Sravana 11, 1906 (*Saka*).